फर्द अहकाम
(नियम 15)
अज अदालत– उपखण्ड अधिकारी, मुकाम सोजत

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
तारादेवी w/o कालूराम जाति माली नि. गुडा चन्दराम तह. सोजत		तारारा S/o कालूराम जाति माली नि. गुडा चन्दराम तह. सोजत

किस्म मुकदमा :– राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 .आर.टी.एक्ट 1955, मु.नं.: 158/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीम में जारी हुआ।
20/10/21	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया है। राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 01/02/22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, सोजत	12-20 17/11/21
1/2/22	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इरतमा होकर पत्रावली दिनांक 17/2/22 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं सब खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
17/2/22	अधिवक्ता मय प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण द्वारा अधिवक्ता मय प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी द्वारा मूल वाद के जरिये समझौता पेश्तर खारिज करने का निवेदन पत्र पेश कर दिया गया है। लिखित मूल वाद खारिज होने से उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली क्रमानुसार शेल्फ नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पालना नियमानुसार से कम हो	तारा देवी लक्ष्मण राम 17/2/22